रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 1974/चैत्र 26, 1896

No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 1974/CHAITRA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi the 16th April 1974

S.O. 253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Sectcion 35 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank, hereby exempts the State Bank of India for the period from the 19th April, 1974 to the 18th April, 1977, both days inclusive, from the provisions of Clauses (a) and (c) of sub-section (1) of Section 34 of the said Act in so far as they preclude the State Bank of India from:—

(i) continuing or realising the advances against the security of immovable property made by the Krishnaram Baldeo Bank Ltd. and taken over by the State Bank of India under the terms and conditions of acquisition by the State Bank of India of the business of the Krishnaram Baldeo Bank Ltd., sanctioned under sub-section (2) of the said Section 35 by the Central Government by an order in writing dated the 22nd February, 1974, and

(ii) making against the security of immovable property against which the advances referred to above have been made, such further advances as the State Bank of India may consider necessary or expedient for ensuring or facilitating the recovery of the advances made by the Krishnaram Baldeo Bank Ltd. and realising such further advances.

[No. 17(2)-B.O.III/73]

D. N. GHOSH, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1974

एस० ओ० 253 (अ).—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक को, उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के (क) और (ग) खण्डों के उपबन्धों से, 19 अप्रैल, 1974 से 18 अप्रैल, 1977 (दोनों दिन शामिल है) तक की अवधि के लिए उस सीमा तक छूट देती है जहां तक कि वे भारतीय स्टेट बैंक को निम्नलिखित से प्रवारित करते हैं :—

(1) कृष्णराम बलदेव बैंक लि० द्वारा अचल सम्पत्ति की जमानत पर दिए गये उधारों को जारी रखने या वसूल करने से; जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृष्णराम बलदेव बैंक लि० के कारोबार के अधिग्रहण के निबन्धनों और शर्तों के अधीन संभाल लिया है। केन्द्रीय सरकार ने उक्त धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन, 22 फरवरी, 1974 के एक लिखित आदेश द्वारा, इस अधिसूचना की मंजूरी दी थी ; और,

(2) जिन स्थायी सम्पत्तियों को जमानत पर उपर्युक्त उधार दिये गये है, उन्हीं पर ऐसे और उधार देने से और वसूल करने से, जिन्हें देना कृष्णराम बलदेव बैंक लि०, द्वारा दिये गये उधारों की वसूली सुनिश्चित या सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक आवश्यक या उपयुक्त समझता है।

[सं० 17(2)-बी०ओ० III/73]

डी० एन० घोष, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI 1974